भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

14 JUN 2016

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DB 225596

न्यास विलेख की घोषणा

न्यास का नाम	–	विजय सुधा स्मारक ट्रस्ट।
न्यास का पता	–	बर्डपुर नं0--8, मोहनाजोत, पोस्ट--बर्डपुर, तहसील--नौगढ़, सिद्धार्थनगर पिन--272202
प्रमुख कर्ता व न्यास में लगया गया धन	–	न्यास में मुख्य न्यासी श्री सच्चिदानन्द पुत्र स्व0 श्री विजय बहादुर नि0 बर्डपुर नं0--8, मोहनाजोत, सिद्धार्थनगर, उ0प्र0 ट्रस्ट का निर्माण कर रहे है तथा मुख्य न्यासी द्वारा रू0 5100/-- धनराशि न्यास को समर्पित कर रहे हैं। वर्तमान में न्यास के पास इसके अतिरिक्त कोई चल अचल सम्पत्ति नही है।
न्यास का कार्य क्षेत्र	–	सम्पूर्ण भारत।

विधिक प्रलेख--

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार न्यास एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व से आवद्ध होता है तथा उसे सम्पत्ति का स्वामी घोषित अथवा स्वीकार किया जाता है

सच्चिदानन्द

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

14 JUN 2016

भारत INDIA नं० 67

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DB 225597

सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिए ही स्वीकार करेगा।

न्यास के तत्व–

मुख्य न्यासी द्वारा न्यास का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है–न्यास एक प्रकार का आभार है, आभार से सम्पत्ति का जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध है। न्यास का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक न्यास के लिए हिताधिकारियों का होना आवष्यक है। न्यास का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पति के स्वामित्व का आभार आवद्ध करेगा। इस प्रकार एक न्यास में आभारी न्यासी हितधारी न्यास सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर न्यास के निम्न न्यासीयों द्वारा बनाया गया प्रबन्ध मण्डल–

क्रम सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री सच्चिदानन्द पुत्र स्व0 श्री विजय बहादुर	बर्डपुर नं0–8, मोहनाजोत, सिद्धार्थनगर, उ0प्र0।	संस्थापक/प्रबन्धक	कृषि
2	प्रीति पुत्री श्री राजेन्द्र	ग्राम व पो0–शंकरपुर कला,	ट्रस्टी	अध्यापन

सच्चिदानन्द

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14 JUN 2016

नं० 67

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 225598

	प्रसाद	जिला–बलरामपुर,उ0प्र0।		
3	श्री चन्द्रभान पुत्र श्री सीताराम	ग्राम–दानोकुँइया पो0–तिलौली, सिद्धार्थनगर।	ट्रस्टी	कृषि
4	श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री विवेकानन्द	बर्डपुर नं0–8 मोहनाजोत, सिद्धार्थनगर उ0प्र0।	ट्रस्टी	गृहणी

न्यास के मुख्य उद्देश्य–

यह न्यास निम्नलिखित सम्पादित करेगा–

1. ट्रस्ट प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व उच्च शिक्षा मेडिकल शिक्षा–नर्स (मेल–फीमेल) फार्मेसी, पॉलीटेक्नीक व आई.टी.आई. के शिक्षालय स्थापित करना, उन्हें हर प्रकार की मदद देना, ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। भारतीय परिवेश में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षा संस्थायें स्थापित करना, प्रबन्ध करना एवं संचालित करना। ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।

सच्चिदानन्द

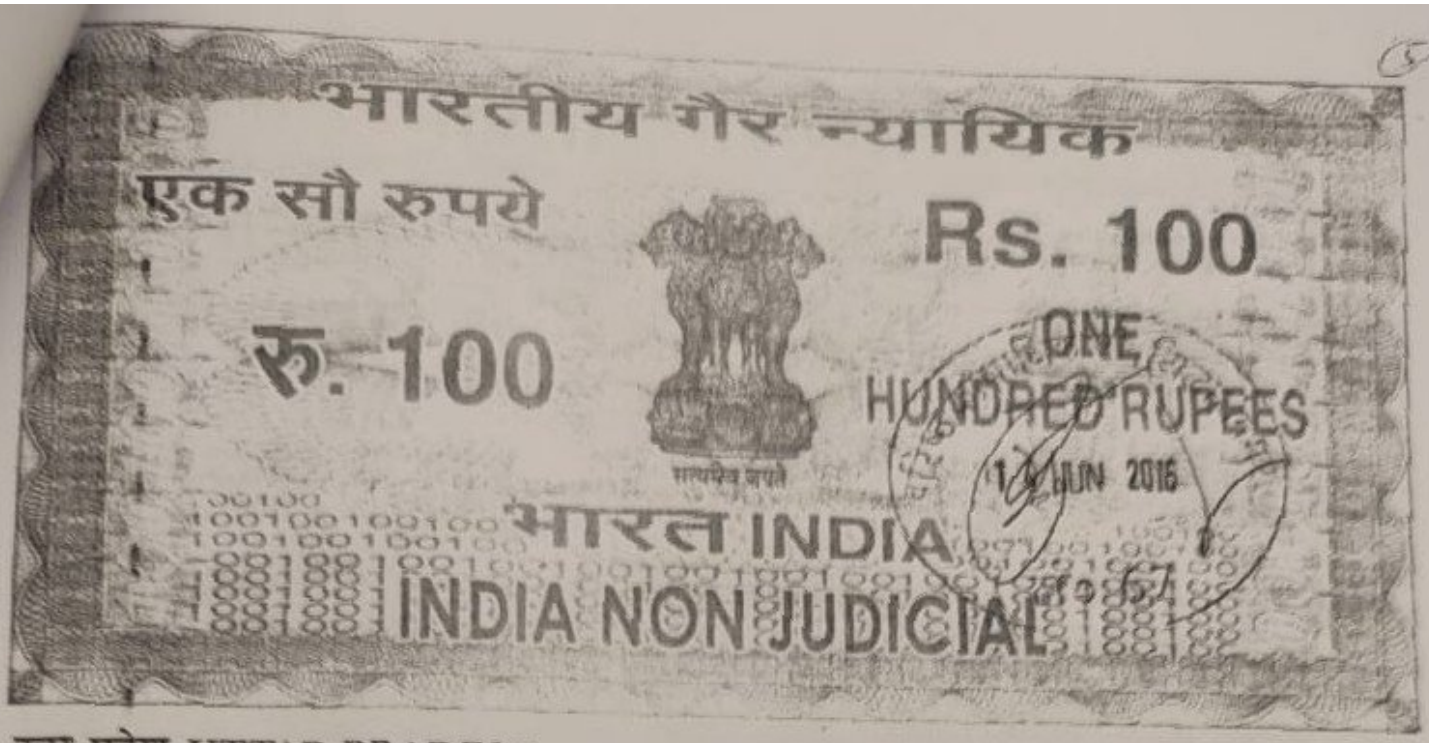

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 225599

2. संस्था विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थानों जैसे–सी.बी.एस.ई. , आई.सी.एस.ई. , एन.ओ.एस., इग्नू, यू.जी.सी. रर्जिष टण्डन आदि से सम्बद्धता प्राप्त करेगी आवश्यकता पड़ने पर उनका एफीलिकेशन प्राप्त कर उनकी विविध योजनाओं का संचालन व प्रचार–प्रसार करेगी। ट्रस्ठ फार्मेसी, मेडिकल, पैरामेडिकल, आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक, इंजीनीयरिंग, बी०एड०, लॉ शिक्षा का संचालन करेगी।

3. प्राकृतिक योग चिकित्सा केन्दो की स्थापना करना प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से गम्भीर रोगों का निशुल्क उपचार व निदान करने के प्रयास करना।

4. समाज के अपेक्षित लोगो जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलॉग व निराश्रित, लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना बल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम की स्थापना करना।

5. ब्लड बैंक की परियोजना में सहयोग देना, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना व आपात कालीन परिस्थितियों में निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना।

6. ट्रस्ट निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को निशुल्क आर्युवेद चिकित्सा सुविधा हेतु एक इमरजेन्सी व अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण करायेगी।

7. निराश्रित विधवाओं, महिलाओं एवं असहाय वृद्धों के लिए आश्रम स्थलों के निर्माण के लिए भूमि देना एवं उसकी देख–रेख व व्यवस्था करना।

सच्चिदानन्द

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 737324

8. समिति के मुख्य उद्देश्यों के लिये प्रदेश भर में योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं यथासम्भवन हर जनपद में इसकी शाखायें खोलना एवं निराश्रित लोगों की मदद के लिए संस्थान का निर्माण करना।

9. जनकल्याण के कार्य जैसे आपात स्थिति, भूचाल, महामारी, बाढ़ आदि के समय जन–जन तक सरकारी सहायता पहुँचाना।

10. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार एवं व्यक्तिगण संस्थाओं एवं निकायों बैंको से दान, अनुदान, आर्थिक, ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायताएँ प्राप्त करना तथा समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

11. समिति, एस0आर0डी0, यू0जी0सी, ग्राण्ट कमीशन, वर्ल्ड बैंक, डब्लू0एस0ओ0, रेडक्रास, बाल एवं महिला कल्याण, शिफ्सा, कपार्ट, नॉवार्ड बैंक व शिक्षा विभाग आदि संस्थाओं, विभागों से आर्थिक व अन्य सहायता प्राप्त करेगी।

12. न्यास आयकर अधिनियम की धारा 80–जी व 12–ए, और एफ0सी0आर0ए0 35 ए0सी0 के लिए भी आवेदन करेगा।

13. महिला/कन्या छात्रावास, महिला/कन्या विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन।

14. संस्था भिन्न–2 कार्यो को सम्पादित करने के लिए उप–समितिया गठित करेगी जो ट्रस्ट के प्रति उत्तरदायी होगी।

सच्चिदानन्द

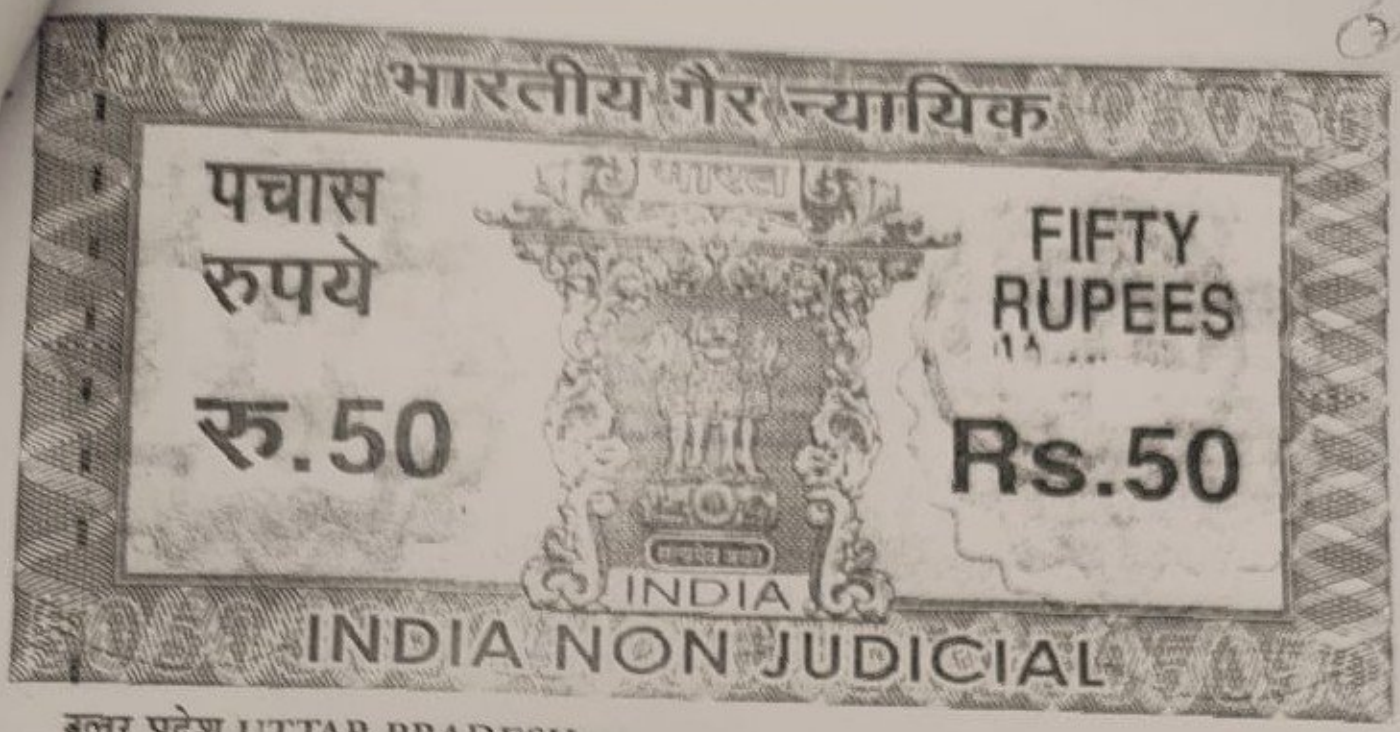

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 737325

15. ट्रस्ट के सभी उद्देश्य अलाभकारी होंगे, अतः ट्रस्ट नो प्रोफिट नो लॉस की नीति पर आधारित होगी।

न्यासियों की नियुक्ति–

न्यास के न्यासियों की नियुक्ति आपसी सहमती से ही करेंगे। जो व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल व्यवसनों का आदी होगा वह न्यास का सदस्य नही हो सकेगा। न्यासियों में से कोई भी न्यासी का अवसान, मृत्यु या कोई नैतिक दोष, अश्रदा एवं न्यासी की हैसियत के कार्य करने में असमर्थता की वजह से स्थान रिक्त होने पर न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य को रिक्त स्थान को भरने अथवा नया न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

न्यास मण्डल प्रमुख–

न्यास के वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य सच्चिदानन्द होंगे। वे इस पद पर जीवनपर्यन्त बने रहेंगे आगामी प्रबन्ध कार्यकारणी सदस्यों की नियुक्ति भी वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य ही करेंगे। इसके बाद प्रत्येक कार्यरत प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा की जाएगी। वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य अपनी स्वेच्छा से किसी को भी आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त कर सकते है। अथवा अपनी वसीयत द्वारा आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे।

अन्य संचालन व्यवस्थाएं प्रावधान नियम, उपनियम–

सच्चिदानन्द

8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

16 JUL 2016

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 737326

1. संस्थापक न्यासी सहित कुल न्यासियों की संख्या पाँच से अधिक नहीं होगी। न्यासी के स्वेच्छा से त्याग पत्र देने, निधन या संस्थापक न्यासी द्वारा बदलने की स्थिति में समाज सेवी, बुद्धिजीवी, निष्ठावान, चरित्रवान, लोकप्रिय व न्यास के उद्देश्यों के लिए समर्पित व्यक्तियों में से ही न्यासी का मनोनयन द्वारा संचालन समिति ही बैठक में विचार करके किया जायेगा।

2. संचालन समिति बहुमत से न्यास की विभिन्न परियोजनओं के प्रबन्धनार्थ उप समितियों का गठन करेगी। उप समितियों के सदस्यों की संख्या प्रस्तावित परियोजना के अनुसार संचालन समिति स्थिर करेगी प्रत्येक उप समिति का एक संयोजक होगा। संयोजक व उप समितियों के सदस्यों के कर्तव्य व अधिकारों का निर्धारण संचालन समिति इस अनुबन्ध में प्राप्त स्वयं के कर्तव्य व अधिकारों के अन्तर्गत करेगी।

3. इन उपसमितियों का संचालन ट्रस्ट के आधीन ही होगा। जरूरत समझने पर न्यासी के अतिरिक्त समाज के अन्य ख्याति प्राप्त समाज सेवी व अनुभवी निष्ठावान व्यक्तियों के उपसमितियों के संयोजक या सदस्य के रूप में चयन करने का अधिकार डायरेक्टर्स को होगा। संयोजक वैतनिक भी हो सकता है।

4. न्यास की परियोजनाओं को उत्तरदायित्व व समर्पण के साथ पूर्ण करने व न्यास के विकास के उद्देश्यों से संस्थापक न्यासी व अन्य न्यासी मिलकर, संचालन समिति की बैठक में किसी भी पदाधिकारी या न्यासी सदस्य को आर्थिक सहयोग के रूप में निश्चित मानधन देने का निर्णय बहुमत के आधार पर ले सकेंगे किन्तु स्वीकृति का अन्तिम अधिकार श्री सच्चिदानन्द जी को ही होगा।

सच्चिदानन्द

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

14 JUL 2014

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 737327

5. वर्ष में न्यास संचालन समिति की योजनानुसार तीन बैठकें होंगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में अंकित किया जायेग। जिसका अनुमोदन/सम्पुष्टि आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

6. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् प्रति वर्ष न्यास की एक वार्षिक बैठक मार्च मास में अनिवार्य रूप से होगी। जिसमें पिछले वर्ष का आंकक्षित आय व व्यय विवरण स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और आगामी वर्ष का योजना बजट स्वीकृत होगा।

7. महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संचालन समिति की आकस्मिक बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।

8. ट्रस्ट अपनी सम्पत्ति को मोरगेज कर सकेगा किसी भी संस्था व्यक्ति या बैंक से ऋण ले सकेगी जिसका सम्पूर्ण अधिकार संस्थापक व प्रबन्धक को ही होगा।

बैठकों का कोरम–

आकस्मिक बैठक में कोरम का बंधन नही होगा। उपस्थित न्यासी/पदाधिकारी निर्णय ले सकेंगी किन्तु आगामी पूर्ण नियमित बैठक में कार्य व निर्णयों की पुष्टि आवश्यक होगी।

आय–व्यय लेखा पुस्तकें व लेखा परीक्षण–

1. संचालन समिति न्यास की आय व व्यय का विधिवत हिसाब रखेगी व लेखा पुस्तकें तैयार करेगी।

सच्चिदानन्द

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 737328

2. लेखा पुस्तकों का विधिवत अंकेक्षक द्वारा परीक्षण किया जायेगा। अंकेक्षण के नाम व फीस का निश्चत संचालन समिति अपनी बैठक में करेगी।

3. हिसाब–किताब व वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च तक होगा।

4. न्यास का विधिवत खाता किसी भी बैंक में खोला जायेगा। खाता संस्थापक/प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से खोला जायेगा तथा धन का आहरण भी संस्थापक/प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

संचालन समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य–

अध्यक्ष–

(अ) न्यास संचालन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ब) बैठकों के विषयानुक्रमों को प्रबन्धक के परामर्श से निर्धारण करना।

(स) न्यास प्रबन्धक के माध्यम से बैठकों को आहूत करना या आवश्यकता आहूत करना।

(द) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नव–निर्वाचित सहित अन्य कार्य सम्पादित करना।

प्रबन्धक–

(अ) अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों को आहूत करना व उनका संचालन करना।

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 737329

(ब) न्यास के कर्मचारियों को अध्यक्ष से परामर्श कर नियुक्त करना, निलम्बित करना व उनमें अनुशासन स्थापित करना।

(स) आकस्मिक खर्चो हेतु रू0–50,000/– तक की राशि अपने पास रखना।

(द) अन्य वे सभी अधिकार व कर्तव्य जो न्यास हित में संचालन समिति उन्हें सौंपे।

कोषाध्यक्ष–

(अ) न्यास की समस्त वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करना, सम्बन्धित लेखाओं को रखना व रखवाना।

(ब) अप्रायोजित व अतिरिक्त न्यास धन को भारतीय न्यास अधिनियम 1860 की धारा–20 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना।

(स) वित्तीय लेखा–जोखा को वित्तीय वर्ष समापन के पश्चात् दो माह में पूर्ण कर या कराकर अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराकर संचालन समिति की मार्च माह की वार्षिक बैठक में अनुमोदित हेतु प्रस्तुत करना।

अंकेक्षक–

न्यास समिति द्वारा मनोनीत अंकेक्षक न्यास के सभी लेखों–जोखों का वित्तीय वर्ष के उपरान्त अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण/ऑडिट करके विस्तृत रिपोर्ट देना।

संस्थापक–

सच्चिदानन्द

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 737330

न्यासी दम्पत्ति व न्यासियों के जो अधिकारों कर्तव्यों का जिक्र इस अनुबन्ध में नही है उनका और अलावा अन्य अधिकार व कर्तव्य भारतीय न्यास अधिनियम 1860 के अधीन निर्धारित होगे।

कानूनी प्रक्रियायें–

न्यास से सम्बन्धित सभी कानूनी विवाद न्यास पदाधिकारी दायर करेंगे। न्यास पदाधिकारी ही प्रमुख कार्यपालक होगें व न्यास में सेवारत सभी कर्मचारी उसके अधीन होगे। मुख्य ट्रस्ट संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा।

संशोधन के अधिकार–

इस न्यास अनुबन्ध में लिखित मुद्दों पर भारतीय न्यास अधिनियम 1860 से सामंजस्य रखते हुए नये नियमों का सृजन वर्तमान नियमों व प्रावधानो में संशोधन, परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार न्यास का होगा। जिसका अनुमोदन 2/3 सदस्यों से होगा।

न्यास विघटन स्थिति में–

यदि किन्ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यों के अधीन संचालित करना सम्भव न हो और इस न्यास का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी चल–अचल सम्पत्ति को अध्यक्ष व प्रबन्धक को वापस चली जायेगी, तथा शेष रकम को बराबर मानते हुए अन्य सम्पत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। यह प्रक्रिया मुख्य ट्रस्टी तथा अध्यक्ष के बीच सम्पन्न होगी।

सच्चिदानन्द

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BD 737352

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अतः न्यास विलेख मुख्य न्यासी श्री सच्चिदानन्द द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दबाव नाजायज किसी के अपने पूर्ण होशोहवास में अपने परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत के समय काम आए।

विजय प्रकाश S/o रामशंकर
ग्राम व पो. मधुकरपुर
थाना व जिला - सि० नगर

रमेश कुमार चौधरी S/o हरिहर
ग्राम व पो. - भीमापार
थाना व जिला - सिद्धार्थनगर

सच्चिदानन्द

टाईप कर्ता
सच्चिदा...
दिनांक -7.